पत्रसंख्या-आई0टी0-ट्रांजिट पास-(2013-14)/ 683/1314043 /वाणिज्यकर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश
(आई0टी0-अनुभाग)
दिनांक :: लखनऊ ::सितम्बर, 12, 2013

**1-समस्तजोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर**
**2- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर**
**3- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0)) वाणिज्य कर**
**4- समस्तअसिस्टेन्ट कमिश्नर (सचलदल) वाणिज्य कर**
**5- समस्त वाणिज्य कर अधिकारी (सचलदल) वाणिज्य कर**
**उत्तर प्रदेश।**

---

सचलदल अनुभाग के आदेश संख्या-सचलदल-ट्रांजिट पास-2013-14/ 1341 /वाणिज्य कर दिनांक 03-09-2013 द्वारा पारगमन पत्र की आड़ में प्रदेश में सुनियोजित ढ़ग से हो रहे करापंवचन के प्रयासों को निष्फल करने के उदे्श्य से पारगमन पत्र से सम्बन्धित प्रक्रिया को संशोधित करते हुये नयी प्रक्रिया दिनांक 15-09-2013 से प्रभावी किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

नवीन प्रक्रिया में मुख्य रुप से विभागीय वैबसाइट पर प्रान्त से होकर माल को पारगमित कराये जाने के सम्बन्ध में वाहन का पंजीयन कराये जाने, वाहन के प्रान्त की सीमा में प्रवेश तथा प्रान्त की सीमा से निकास की स्थिति में SMS द्वारा सूचना देने तथा पारगमन खारिजी प्रमाण पत्र आदि की व्यवस्था की गयी है।

उपरोक्तानुसार आनलाइन रुप में प्राप्त होने वाली सूचनाओं का करापंवचन पर रोक लगाये जाने की दृष्टि से त्वरित गति से सचलदल अधिकारियों को सुलभ कराये जाने की दृष्टि से SMS सुविधा का भी विकास किया गया हैं जिसके सम्बन्ध में प्रक्रिया निम्नवत् होगी :-

**<u>ट्रांजिट डिक्लेरेशन फार्म की अद्यतन स्थिति ज्ञात करना</u>**

Type ctxup<space>tdfm<space>last 10 digit transit no.

**Example** :ctxup tdfm 0100176048

उपरोक्त SMS प्रेषित करने पर अधिकारी को वापस अपने मोबाइल पर निम्नानुसार सूचना प्राप्त होगी जिसका विवरण निम्नवत् होगा-

Tdf no-------issued on-------at-----from-------to-------- vehicle no.--------- entry----exit-------route------commodities----,----,----total weight at entry-----value Rs.-------vehicle entered UP on--------at------

**Example** : Tdf no 0100176048 issued on 30/08/2013 at 09:00 from Delhi to Patna vehicle no.DL01 AA 2222 entry Mohannagar exit Naubatpur route Ghaziabad, Kanpur, Varanasi commodities Iron, Tile total weight at entry 10 ton value Rs.1500000 vehicle entered UP on 30/08/2013 at 23:00

ml

क्रमशः पृष्ठ-2

यदि vehicle द्वारा उत्तर प्रदेश की सीमा पार कर ली गयी होगी तथा प्रदेश से निकलने के बाद SMS कर दिया गया होगा तो विवरण निम्नवत होगा-

Tdf no 0100176048 issued on 30/08/2013 at 09:00 from Delhi to Patna vehicle no.DL01 AA 2222 entry Mohannagar exit Naubatpur route Ghaziabad, Kanpur, Varanasi commodities Iron, Tile total weight at entry 10 ton value Rs.1500000 vehicle entered UP on 30/08/2013 at 23:00 Exit UP on 04/09/13 at 10.00

**SMS सुविधा का प्रयोग कैसे करें -**

उपर्युक्त String का प्रयोग करते हुये मोबाइल नम्बर **9235512608** पर SMS भेजने पर वांछित विवरण प्राप्त हो जायेगा। जिसका प्रयोग फील्ड के अधिकारियों द्वारा सुगमता से किया जा सकता है। यह Real Time पर भी कार्य करेगा। यदि कोई अधिकारी उपर्युक्त String में से कोई String भूल जाता है तो ctxup<space>help<space>tdf को उक्त मोबाइल नम्बर 9235512608 पर SMS कर उपर्युक्त सभी String पुनः प्राप्त कर सकता है।

**ट्रांजिट डिक्लरेशन फार्म में अंकित QR इमेज में डाटा पढ़ने की प्रणाली**

प्रत्येक पारगमन घोषणा पत्र (TDF-1) पर काले रंग की एक QR इमेज प्रिन्ट होगी। इसे Mobile Phone के कैमरे के माध्यम से पढ़कर बहती की मूल सूचना देखी जा सकती है। इस QR इमेज को पढ़ने के लिए इन्टरनेट पर आसानी से उपलब्ध Application को डाउनलोड करना होगा। मोबाइल फोन के Operating System (Android, MS-OS,Black berry) हेतु Specific Mobile Applications इन्टरनेट पर उपलब्ध है। इन्हे मोबाइल फोन में सीधे डाउनलोड कर या किसी अन्य फोन से Blue tooth / Wi-Fi Connectivity से प्राप्त किया जा सकता है।

यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त प्राप्त SMS की सूचनाएँ यदि सम्बन्धित माल के पारगमन हेतु प्रस्तुत प्रपत्रों के अनुरुप पायी जाती हैं तो जॉच अधिकारी द्वारा ऐसे वाहन को अनावश्यक रुप से नहीं रोका जायेगा। विसंगतियों के प्रकाश में आने पर भी समुचित कारणों के आधार पर डिटेन्शन मेमो जारी करने के उपरान्त प्रश्नगत प्रकरण में जॉच कार्यवाही की जाए।

उक्त निर्देशों / प्रक्रिया से अधीनस्थ अधिकारियों को अपने स्तर से अवगत कराते हुये SMS का अधिकाधिक प्रयोग कराना सुनिश्चित करें। QR कोड का यथाआवश्यकता प्रयोग कर सकते हैं।

12.9.2013

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर,वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।